

Request-98

From,

S.S. Gautam,  
Deputy Registrar,  
High Court of Judicature at  
Allahabad.

To,

The District Judge,  
Agra.

40. No. 10872/IV-3162/ Admin (A) / Dated 18-08-2015

Subject:- Information, submitted by Sri Brahmatej Chaturvedi, Special Chief Judicial Magistrate, Agra about allotment/booking of a flat in Avadh Vihar Yojana, Bhagirath Enclave, Lucknow along with his wife.

Sir,

With reference to your endt. no. 3372/I dated 17.07.2015 on the above subject, I have to say that Sri Brahmatej Chaturvedi, Special Chief Judicial Magistrate, Agra may kindly be asked to submit information about purchase of the flat on completion of the transaction also, along with a copy of the sale deed of the flat and other relevant papers, in the light of the directions contained in Court's Circular letter no. 25/ Admin (A) dated 13.07.1998, for taking further necessary action in the matter.

Yours faithfully

*[Signature]*  
6.8.15

Deputy Registrar

D.R.(H)  
May issue?  
M  
06/08/15  
OK Jai Singh  
06-08-15  
S.O.

41. No. 10873 / IV- 3162/ Admin (A) / Dated 18-08-2015

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Brahmatej Chaturvedi, Special Chief Judicial Magistrate, Agra.

*[Signature]*  
6.8.15  
Deputy Registrar

01  
02L  
23-7-15

Scoutal  
28-7-15  
Encl-0 page

29-7-15

Request-98

Register No. 11548  
3162  
38

प्रेषक : ब्रह्मतेज चतुर्वेदी,  
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा।

31/8/15  
5-8-15

सेवा में : श्रीमान महानिबन्धक महोदय,  
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा : श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
आगरा।

विषय : उ० प्र० आवास एवम् विकास परिषद, लखनऊ की अवध विहार योजना में प्रार्थी एवम्  
उसकी पत्नी को सेक्टर 2 B, भागीरथी एनक्लेव में फ्लैट संख्या 2B/T6-12A04 आवण्टन  
होने के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

सम्मान निवेदन है कि प्रार्थी एवम् उसकी पत्नी श्रीमती सुधा चतुर्वेदी ने उ० प्र० आवास एवम्  
विकास परिषद, लखनऊ की अवध विहार योजना के अन्तर्गत 3BHK हेतु दिनांक 06-03-2013  
को चालान सं० 146 के त्रिए आवेदन किया था। उक्त चालान के विरुद्ध विषयांकित फ्लैट आवण्टन  
हुआ, जिसकी सूचना परिषद के पत्र सं० 557/स०प्र०इ०न०/अवध विहार योजना/ मोंगपत्र /दिनांक  
30-09-2013 द्वारा प्रार्थी एवम् उसकी पत्नी को प्रेषित की गई। विषयांकित फ्लैट के सम्बन्ध में शेष  
धनराशि ₹ 34,80,000/- है जिसके सम्बन्ध में मैंने दिनांक 10-01-2014 को भारतीय स्टेट बैंक,  
शाखा आगरा से ₹ 32,70,000/- तथा बीमे हेतु ₹ 2,34,235/- कुल ₹ 35,04,235/- का चर्चा  
लिया है, जिनके ऋण खाता सं० क्रमशः 33577326646 तथा 33577362981 हैं। उक्त शेष धनराशि  
बैंक द्वारा ₹ 4,35,000/- की आठ त्रैमासिक क्रिस्तों में परिषद को भेजी जा रही है। उक्त प्रत्येक क्रिस्त  
में ₹ 4,08,000/- बैंक द्वारा और ₹ 26,250/- भेरे द्वारा दि जा रहे हैं।

अभी उक्त फ्लैट का निर्माण कार्य पूर्ण कर उसका कब्जा हमको नहीं दिया गया है और न ही  
अभी उक्त फ्लैट का पञ्जीकरण हमारे पक्ष में किया गया है। उक्त फ्लैट के पञ्जीकरण के पश्चात् निर्धारित  
प्रारूप पर तत्सम्बन्धी सूचना माननीय न्यायालय को प्रेषित की जावेगी।

माननीय न्यायालय के अवलोकनाथ सूचना सादर प्रेषित है।

सादर!

दिनांक : 17-07-2015.  
संलग्नक : उक्त आवण्टन पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

17/7/15  
(ब्रह्मतेज चतुर्वेदी)

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा।

3372/2 17/7/15  
अध्यक्ष  
जिला जज, आगरा  
17/7/15

Ms. Munmun  
17/7/15  
08-08-15

